

RP-211-6L-11-94 V-190/CR.J.(e)  
SUMMERY TRIAL UNDER SECTION 260 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898  
in the court of..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी Class.....  
Case No..... गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

सुनील दास सुन्नाशाल कि से

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 30-10-17 को समय 0.15 बजे स्थान कास्वा में  
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के  
21 फरवरी को अपने आधिपत्य में रखा  
जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के  
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

सुनील

पंकज शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

पंकज शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.



(निर्णय)

(आज दिनांक 08/12/17 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 काब्रारी के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा 34 काब्रारी के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 1500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जब्तशुदा 21 चाकर नरेश सिंह ब्राह्मण

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता 0 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

08/12/17  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

08/12/17  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड